उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सम्बन्ध में।

1- रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल का कार्य-

कार्य का विवरण	कुल वक्फ	डाटा इन्ट्री	अवशेष कार्य
वक्फ सम्पत्तियों की ऑनलाईन इन्ट्री	**2054**	**2051**	**03**
डी0 एम 0 एस 0 अभिलेख स्कैनिंग, डाटा इन्ट्री	**2054**	**2020**	**34**

2- रिर्टन मॉड्यूल का कार्य

आय-ब्यय के ब्यौरों की इन्ट्री	**136**	लगभग **50**	**86**

लीजिंग मॉड्यूल का कार्य-बोर्ड द्वारा कोई भी वक्फ सम्पत्ति लीज पर नहीं दी गई है।

3- लिटिगेशन मोड्यूल

वाद-विवरण	कुल वाद	कार्य पूर्ण	शेष
आन्तरिक वाद	**00**	**00**	**00**
बाह्य वाद	**30** लगभग	**03**	**27**

राज्य वक्फ बोर्डों के सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष **2014-15** में रू**0 10.49** लाख की धनराशि उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराई गई, साथ ही वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष **2015-16** में रू**0 9.73** लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई। वर्ष **2014-15** की धनाशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल को प्रेषित किया गया है। वर्ष **2015-16** में प्राप्त धनराशि में से रू**0 50,000.00** की धनराशि का सदुपयोग किया गयाा है अवशेष धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा।

वक्फ अधिनियम **1995** यथासंशोधित **2013** की धारा **83** के तहत शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **1569** दिनांक **27** अक्टूबर, **2016** एवं अधिसूचना संख्या **1183** दिनांक **31** अगस्त, **2016** के द्वारा कुमायूँ मण्डल एवं गढवाल मण्डल हेतु दो वक्फ ट्रिब्युनल का गठन किया गया है जिनके द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 22 वक्फ सम्पत्तियों में अवैध अतिक्रमण हैं जिनमें से कुछ प्रकरण मा0 न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा कुछ प्रकरणों में धारा 54 की कार्यवाही प्रचलित है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न मा0 न्यायालयों में 86 वाद लम्बित हैं जिसमें विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है।

उत्तराखण्ड राज्य के सबसे बडे सर्वश्रेष्ठ वक्फ दरगाह पीरान कलियर की व्यवस्था मा0 उच्च न्यायालय,a नैनीताल के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, हरिद्वार एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा देखी जा रही है।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के विनिमय मॉडल ड्राफ्ट के आधार पर तैयार करने की कार्यवाही प्रचलित है। इस कार्यालय द्वारा शासन को पत्र दिनांक 570 दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है

शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 384 दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित धारा 4 के तहत उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्तियों का सर्वे कराये जाने हेतु सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन को वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त तथा समस्त जिलाधिकारियों को पदेन अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त तथा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त नियुक्त किया गया है

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 72 के तहत गत पांच वर्षों में निम्नवत आय प्राप्त हुईः-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	वक्फ सम्पत्तियों से प्राप्त कुल आय
01.	**2011-12**	**43,40,981.50**
02.	**2012-13**	**36,08,017.00**
03.	**2013-14**	**46,73,158.00**
04.	**2014-15**	**15,51,503.00**
05.	**2015-16**	**18,03,544.00**

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का ऑडिट वर्ष **2012-13** तक का हुआ है और इसके सापेक्ष रू**0 11,35,572.00 (**रू**0 (**ग्यारह लाख पैंतीस हजार पांच सौ बहात्तर मात्र**)** की धनराशि चैक संख्या **584112** के माध्यम से केन्द्रीय वक्फ परिषद**,** नई दिल्ली को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। बोर्ड के वित्तीय वर्ष **2013-14** से **2015-16a** तक की अवधि के लेखों का ऑडिट कराया जाना है। उसके उपरान्त केन्द्रीय वक्फ परिषद का अंशदान भेजा जायेगा।

नावाडको के माध्यम से वक्फ संख्या **430** वक्फ कब्रिस्तान नन्दा की चौकी प्रेमनगर**,** देहरादून की वक्फ के विकास में विकास कार्य कराये जाना प्रस्तावित है लेकिन वर्तमान अवधि में बोर्ड द्वारा उक्त वक्फ सम्पत्ति में अध्यासित अवैध कब्जेधारकों के विरूद्ध धारा**-54** की कार्यवाही अमल में लाई गई थी तथा उक्त प्रकरण मा**0** न्यायालय में विचाराधीन है।

वक्फ दरगाह पीरान कलियर शरीफ**,** रूडकी की वक्फ सम्पत्ति में नावाडको के माध्यम से विकास कार्य कराया जाा प्रस्तावित था लेकिन उक्त वक्फ सम्पत्ति विवादित होने साथ ही उक्त वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रकरण मा**0** उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त कार्य कराया जाना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है।

वक्फ संख्या **2** ए नैनीताल की वक्फ सम्पत्ति में विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है उक्त हेतु उक्त वक्फ के मुतवल्ली से प्रस्ताव मांगा गया है। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के तद्उपान्त ही बोर्ड की संस्तुति सहित नावाडको को प्रेषित किया जा सकेगा।

वक्फ संख्या **34** वक्फ जामा मस्जिद एवं रजा क्लब**,** नैनीताल की वक्फ सम्पत्ति में नावाडको के माध्यम से विकास कार्य कराये जाने हेतु उक्त वक्फ की प्रबन्ध समिति से प्रस्ताव मांगा गया है उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के तद्उपान्त ही नावाडको को प्रेषित किया जा सकेगा।

वक्फ संख्या **131** वक्फ कब्रिस्तान पौंधा प्रेमनगर**,** देहरादून की वक्फ सम्पत्ति में विकास कार्य कराये जाने हेतु पूर्व में नावाडको को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था**,** लेकिन देहरादून में कब्रिस्तानों की अत्यन्त कमी के दृष्टिगत कब्रिस्तान की वक्फ सम्पत्ति में किसी भी प्रकार के विकास कार्य न कराये जाने हेतु सचिव**,** अल्पसंख्यक कल्याण महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में मात्र **04** कार्मिक **(**वक्फ निरीक्षक**-01,** रिकॉर्ड कीपर**-01,** कनिष्ठ लिपिक**-01** एवं अनुसेवक**-01)** कार्यरत हैं। शासन को बोर्ड में पदों का सृजन कराये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है**,** शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रारम्भ की जा सकेगी।